न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/76/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/283

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
कर्नल सुनील दत्त (से.नि.) निवासी–सी–47, अंसल टाउन, 200फुट रोड, सदर थाना के पास, अलवर–301001		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 21.06.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 26.07.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने प्रा0पत्र क्रमांकः 770 दिनांकः 19.05.2022 के माध्यम से इस न्यायालय के नोटिस क्रमांकः 980 दिनांकः 29.04.2022 व प्रथम अपील प्र0सं0 12/47/2022 के अनुक्रम में प्रश्नगत हथियार लाइसेंस का जल्द से जल्द नवीनीकरण करने के आदेश प्रसारित करने बाबत अनुरोध किया है।
4. उक्त प्रा0पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
5. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 1614–15 दिनांकः 29.06.22 के माध्यम से इस न्यायालय को जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठाकित की गई है।
6. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् व आक्षेप प्रा0पत्र का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के लाईसेंस नवीनीकरण संबंधी प्रकरण में राजस्व (ग्रुप–5) विभाग, राज0 सरकार के पत्र सं0 क. 16(1)राज–5/सम/2022 दिनांकः 27.05.22 को मूल ही प्रभारी अधिकारी न्याय (आर्म्स) प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा चुका है। अपीलार्थी का प्रा0पत्र दिनांकः 19.05.2022 अपील प्रा0पत्र ना होकर इस न्यायालय के नोटिस क्रमांकः 980 दिनांकः 29.04.2022 व प्रथम अपील प्र0सं0 12/47/2022 के अनुक्रम में प्रश्नगत हथियार लाइसेंस का जल्द से जल्द नवीनीकरण करने के आदेश प्रसारित करने बाबत अनुरोध स्वरूप प्रा0पत्र है जिस पर अपील के रूप में सुनवाई नहीं की जा सकती है।
7. उक्त आलोक में प्रश्नगत प्रा0पत्र दिनांक 19.05.2022, अपील प्रा0पत्र ना होकर एक विविध प्रा0पत्र है जिस पर अपील प्राधिकारी की ओर से कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।
8. अतः **अपील कार्यवाही ड्रॉप** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 26.07.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)